THE BIHAR STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL, 1969—*contd.*

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand to speak on this Bill very briefly just touching on two aspects. This Bill, Sir, proposes to constitute a Consultative Committee consisting of Members of Parliament of both Houses for the purpose of being available for consultation by the President in regard to laws that have to be legislated upon during the period of the Proclamation under article 356 of the Constitution. Sir, since 1967 we are having quite a lot of instances in which article 356 of the Constitution is being resorted to and it would appear from the present trend that there are likely to be occasions in future when on account of instability in some of the States and want of legislative majority for the ruling party Proclamations under article 356 would have to be more often issued. I do not propose to go into the political aspects at this stage but I want only to state the necessity for having a proper and effective forum for legislation for the States under President's rule. The Consultative Committees that had been formed earlier and had functioned earlier had not been really effective. I myself had the privilege of working in the Consultative Committee regarding the State of West Bengal and my own feeling is that it has been more or less a formality being complied with by Government before legislations are made. I have found, Sir, in practice—and in my own State twice or thrice there have been Consultative Committees constituted while President's rule was in force—that Government have not taken seriously the necessity to make effective consultations with these Committees. It has often been found that the agenda for the meetings of the Consultative Committees are issued while the meeting is progressing or while the meeting is just about to begin and in practice members of these Committees are taken absolutely unawares by the large bulk of papers handed over to them and it has been impossible for them to give any proper, correct and conscientious advice in regard to these legislations. I would therefore suggest to Government that the work of these Consultative Committees should be taken more seriously.

Again, Sir, we have got to make an approach and a decision as to what exactly is the scope of the legislations to be made during President's rule. There is an opinion, particularly in States where there is instability and where Proclamations under article 356 are being issued more than once during the normal life of the legislative Assembly which is five years that President's rule should be taken as a blessing so far as that particular State is concerned, and opportunity should be taken for better and progressive legislation. However much in practice that may be necessary, in principle I am not prepared to uphold that view because under the Constitution it is the primary duty of the State Government and the State Legislative Assembly to have these legislations made and therefore I would submit that only emergency legislations and legislations of an absolutely non-controversial nature should be made during the period of President's rule.

The second point that I would like to stress is the necessity for revoking President's rule in any State in which President's rule may occur—and particularly now we are referring to the State of Bihar—as early as possible. President's rule has come to Bihar after the mid-term election. The ruling party, which formed the Government after the mid-term elections, did it with a large number of defectors and these defectors were largely gathered from some of the non-Congress parties. When these defectors and a section of the Congress itself failed to get the necessary legislative support to the Government, the Government had to go. I submit that after the period of the present Proclamation, a chance should be given to the non-Congress Opposition parties in Bihar to form a Government and if that Government again fails, no doubt President's rule may have to be imposed. I would also state that the interim period, when the

State of Bihar is under President's rule, should not be utilised—I say it because there is an apprehension in the State of Bihar—to pressurise the non-Congress parties and increase the Congress legislative strength If that happens, once again what happened earlier, would be repeated and, therefore, when President's rule is revoked, the first chance should be given to the non-Congress Opposition parties in Bihar to form and attempt at a stable Government

Thank you

श्री राजनारायण : मै कतई यह नही चाहता हू कि इस अवसर पर सलाहकार समिति बनने का विधेयक को यहा पर प्रस्तुत किया जाय; क्योकि राष्ट्रपति महोदय ने जो घोषणा की थी, वह केवल दो महीने के लिये की थी ।

(*Seeing Shri Om Mehta talking to the Vice-Chairman*)

कोई तरीका सीखिये और विहप को इतनी दूर से चेयर के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिये। यह कोई घर नही है, यह सदन है और आदरणीय सदन है ।

श्री ओम मेहता (जम्मू और काश्मीर) : आप अपना भाषण करें ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मै यह निवेदन कर रहा था कि मत्री जी मे सद्बुद्धि जागे और वे सद्बुद्धि का उपयोग करे क्योकि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नही है । 4 जुलाई को वहा पर राष्ट्रपति के शासन की घोषणा हुई थी और आज 26 अगस्त बीत गया है, सितम्बर आ रहा है और आठ दिन के बाद 4 सितम्बर भी आ जायेगा । इस तरह से यह सरकार 8 दिन के लिए वहा पर इस विधेयक को लागू करना चाहती है; क्योकि हम चाहते है कि 4 सितम्बर को राष्ट्रपति महोदय वहा पर असेम्बली को बुलावे ताकि वह अपना कोई लीडर चुन सके। अगर वह इतना नही कर सकती है तो जैसा मैने इसके पूर्व कहा था कि अगर किसी मे जरा सी भी जनतत्री बुद्धि है, तो वह यही कहेगा कि वहा के विरोधी पक्ष मे इतनी क्षमता है कि वह अपनी सरकार बना सकती है । लेकिन यह सरकार अनावश्यक ढग से वहा पर राष्ट्रपति का शासन लागू करना चाहती है और इस बात पर तुली हुई है । मुझे आश्चर्य है कि कोई भी सरकार जो अपने को जनतत्री कहती है, समाजवाद का दम भरती है, वह सरकार जनतत्र और समाजवाद का अर्थ करते हुए इस तरह की बात कर सकती है । क्या ये केवल थोथे ही शब्द है और उन पर यह सरकार आचरण करना नही चाहती है ।

श्रीमन्, हमारे सविधान की जो 366 वी धारा है, उसके 1 के (ख) मे यह दिया हुआ है ? "राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान मडल की शक्तिया ससद् के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होगी ।"

मै यह कहना चाहता हू कि सदन के अधीन क्यो न प्रयोग हो । अगर ससद् को बिहार के सबध मे कोई विधेयक पास करना है, तो हम लोग उसको यहा पर अधिक समय देकर पास कर सकते है । हम इस काम के लिए दो घटा रात को बैठ सकते है और बैठ कर किसी कानून को बना सकते है । ससद् जो जनतत्र के प्रतिनिधियो की जमात है, उस ससद् का प्रयोग इस काम के लिए क्यो नही किया जाता है । इस तरह से इस विधेयक द्वारा सलाहकार समिति का गठन क्यो किया जा रहा है ।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के लिए एक सलाहकार समिति बनी थी और उस सलाहकार समिति का मुझे पूरा पूरा अनुभव है । विरोधी पक्ष जो कोई भी उस समिति मे होती है, उसको बहुत कम अवसर वहा पर बोलने को मिलता है । उस समिति मे जिसमे कार्ड वगैरह लगे रहते है, घर मत्री जी और उप घर मत्री जी आते है । वहा पर मामला रखा जाता है और किसी को सलाह देने के लिए नही कहा जाता

[श्री राजनारायण]

है। तुम को क्या कहना है, तुम्हारे क्या विचार हैं, इस तरह की बात कह कर वहां पर कानून जो रखा जाता है वह बन जाता है। इस तरह की नौटंकी आज इस जनतंत्र के जमाने में हो रही है। मैं आपसे अनुनय निवेदन करता हूं, नम्र निवेदन करता हू और आरजू करता हूं कि इस तरह की नौटंकी सरकार को नही करनी चाहिये।

श्रीमन्, मै बहुत ही आश्चर्य में पड़ा हूं कि यह राष्ट्रपति है क्या। मै ऐसा नही समझता था कि श्री गिरी जी इस तरह के होंगे। यह कहा जाता है कि यह सरकार एक सिक्यूलर सरकार है। यह देखिये उनके घर का पुजारी है और यह श्री गिरी जी हैं। श्री गिरी द्वारा मंदिर में प्रार्थना। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण करने के एक दिन पूर्व श्री वी० वी० गिरी ने यहां आज प्रात: श्री वैंकटेश्वर मंदिर मे प्रार्थना की।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Mr. Vice-Chairman, on a point of order. It is highly improper for any hon. Member to call the conduct of the President in question and particularly when he does something in his personal capacity, not as Head of the State. I would request you to rule the reference to the President as out of order.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मै यह कहना चाहता हूं कि उन्होने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसका मै जवाब देना चाहता हूं। जब श्री राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तो वे बनारस गये थे और वहां उन्होंने नदेश्वर की कोठी में 101 ब्राह्मणों से चरणामृत ग्रहण किया था। मैंने इस संबंध मे भी उनको लिखा था। स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास गये थे और उनके सामने नतमस्तक हुए। हमने इसके बारे में उनको लिखा और उन्होंने हमें हिन्दी मे लिखा कि मै चाहूंगा कि इस मामले को आगे न बढ़ाया जाय। हमने इस मामले को आगे नही बढ़ाया। हमने राष्ट्रपति जी को लिखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद आप श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास गये थे और उन पर फूल चढ़ाये और वहां पर चरणामृत ग्रहण किया। यह जो बात उन्होंने की वह गलत की। मै कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति है और मिनिस्टर मिनिस्टर है। वह घर में बैठ कर इस तरह के व्यक्तिगत कार्य कर सकता है। लेकिन जब वह सार्वजनिक जगहो पर जाता है, तो उसको इस तरह के कार्य नही करने चाहिये और इस तरह के धार्मिक कृत्य नही किये जाने चाहियें।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : श्री राजनारायण जी, जरा आप बैठेंगे। इस समय हम डैलीगेशन पावर फार बिहार के संबंध मे विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने क्या किया, क्या नही किया, इसके संबंध में आप चर्चा न करें।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि हमारे देश मे आज क्या हो रहा है।

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu): On a point of order, I did not catch what you said, but can I take it that you said that the Head of the State should not be discussed?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): No, no. What I said is that we are discussing the delegation of powers as far as Bihar is concerned. We are not discussing what the President should do or should not do.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उसको इस तरह से सार्वजनिक स्थानों में धार्मिक कृत्य नहीं करने चाहियें। जब श्री गुलजारीलाल नन्दा ने श्री शंकराचार्य जी के वहां चरणामृत ग्रहण किया था, तो उस समय भी हमने इसका विरोध किया था। हमने उनको लिखा था कि आप इस राज्य को धर्म निरपेक्ष राज्य कहते हो

मगर यह धर्म-निरपेक्ष राज्य नहीं है। अगर आप सार्वजनिक स्थानों में धार्मिक कृत्य करते है, देवी देवताओं की पूजा करते है तो फिर कैसे अपने आपको निरपेक्ष कह सकते हो। यह जो चीज़ है, वह गलत चीज है।

श्री ओम् मेहता : अब इनका कितना समय रह गया है की ये बोले चले जा रहे हैं। The time allotted to this is only one hour.

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : दो मिनट और रह गये हैं।

श्री राजनारायण : इसलिए श्रीमन् मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा बिहार के संबंध मे कोई कमेटी न बनाई जाय। जो भी वहां के लिए आवश्यक कानून है उन्हें सदन में लाया जाना चाहिये क्योंकि इस सदन के सदस्यों को पूरा पूरा हक है कि वे अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। सलाहकार समिति का बनाया जाना और उसमे किसी की राय न लेना, यह गलत चीज है। मै श्री मंडल साहब की बात की ताईद करता हूं कि वहां पर जब कौंसिल अभी भी बनी हुई है और कानून के द्वारा बनी हुई है तो उसके द्वारा क्यों इस तरह के कानून नही बनवाये जाते हे, या फिर राष्ट्रपति जी जितने भी यहा पर बिहार के सदस्य हैं उन्हें यह अधिकार दे दें कि बिहार के संबंध में जो भी कानून बनाने चाहें बनाये। इस विधेयक के द्वारा जो सलाहकार समिति बनाई जा रही है वह तो बिल्कुल एक मखौल है और इस तरह की बात करना घर मंत्री जी को शोभा नही देता है। इस लिये मैं इस विधेयक का घोर विरोधी हूं। इस विधेयक के अन्दर जो एक इच्छा छिपी हुई है, जो एक कुत्सित भावना छिपी हुई है जो एक षड्यंत्र छिपा हुआ है, उसका मै घूघट खोलना चाहता था, लेकिन उसके लिये समय नहीं है। फिर भी मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि आज हर प्रकार का पापाचार हमारे देश मे हो रहा है और राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, वह एक व्यक्ति नहीं है, वह भारतीय गणतंत्र का राष्ट्रपति है और इसलिये उसको धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को साकार रूप मे प्रगट करना होगा। वह जो चाहे करे, ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष जी, अभी इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कई ऐसी बातें कही गई जिनका इस विधेयक से कोई मतलब नही है। इसलिये उनके सम्बन्ध में मैं ज्यादा कहूंगा नही। पर जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मै यह बताना चाहता हूं कि संसद के पास, न केवल राज्य सभा बल्कि लोक सभा के पास भी, इतना समय नही है कि उसमे जो हम बहुत से विधेयक राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत पारित करना चाहते हैं उन पर पूर्ण रूप मे विचार कर के, उनको समय दे कर उनको हम यहां पारित करें। इस लिये यह प्रक्रिया कुछ दिनो से हमारे यहां जारी कर दी गई है कि माननीय सदस्यों की, जो कि दोनों सदनो से लिये जाते है, एक समिति बनाई जाती है। उस समिति की घंटों बैठक होती है और उसमें अच्छी तरह मे सब विधेयकों पर विचार होता है। उनकी सम्मति ले कर के फिर सरकार के द्वारा निर्णय किया जाता है कि कौन सा विधेयक पारित करना है और कौन सा विधेयक नही पारित करना है। इस लिये मै यह समझता हूं कि इस कमेटी का जो विरोध किया जा रहा है वह सोच समझ कर नही किया जा रहा है।

श्री कल्याण राय ने कुछ बिहार के मसलों के बारे में हम लोगों का ध्यान खींचा, खास कर के कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध मे। मै इसके बारे में ज़रूर जांच कराऊंगा कि किस तरह की हालत वहां पर चल रही है। यदि उसमें कुछ ऐसी बातें देखी गई जिन में हस्त-क्षेप करने की आवश्यकता अनुभव की गई तो उनमें हम जरूर कोई न कोई कार्रवाई करेंगे।

जहां तक वहां सरकार बनाने का सवाल है मुझे और मैं समझता हूं कि सभी माननीय

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

सदस्यो को इस बात का दु:ख होगा कि मध्यावधि चुनाव के बाद बिहार मे जिस तरह की राजनैतिक स्थिरता की हम आशा कर रहे थे उस तरह की राजनैतिक स्थिरता बिहार मे नही आ सकी। वहा पर शुरू शुरू मे एक मिलीजुली सरकार बनी जिस का नेतृत्व काग्रेस दल के द्वारा किया गया। दुर्भाग्यवश वह सरकार ज्यादा दिन नही चल सकी, कुछ महीने ही चली। उसके बाद माननीय सदस्यो को मालूम है कि वहा विरोधी दलो को भी सरकार बनाने का मौका दिया गया। पर यह भी दुर्भाग्य की बात है कि वह सरकार भी केवल नौ दिन चल सकी। नौ दिन से आगे वह सरकार भी नही चल सकी। जब इस तरह की विषम परिस्थिति वहा पर बन गई तब राष्ट्रपति के पास सिवाय इसके कोई दूसरा चारा नही रह गया कि जब तक वहा पर राजनैतिक स्थिरता न आये, जब तक वहा स्थायी सरकार बनाने का वातावरण न बन जाय तब तक वहा की असेम्बली को निलबित कर दिया जाय। जब तक इस बात का विश्वास हमे राज्यपाल महोदय की रिपोर्ट के द्वारा नही हो जाता है कि वहा स्थायी सरकार बनाने की गुजाइश है या सभावना है तब तक इस चीज को हटा कर फिर वहा पर इस तरह की परिस्थिति पैदा करना ठीक नही होगा जिस के कारण वहा पर लगातार सरकारे बनी और बिगडीं। उससे न वहा की प्रशासनिक प्रक्रिया सुधरेगी और न वहा पर जिस तरह का हम एक स्वस्थ वातावरण चाहते है उस तरह के स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा। यदि वहा मिलीजुली सरकार या विरोधी दलो की सरकार ठीक तरह से चल जाती तो इस तरह की बात करने की कोई आवश्यकता नही थी।

यह बात बहुत ही हास्यास्पद लगती है कि हम लोग अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते है। इससे हमारी शक्ति मे कोई वृद्धि नही होती है।

श्री राजनारायण : यहा भी काग्रेस की मिलीजुली सरकार चल ही रही है। काग्रेस के प्रेसिडेंट और ये सब चोर चोर मौसेरे भाई है। इस सरकार को भी मिलीजुली सरकार की सज्ञा दी जा सकती है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष जी, यह श्री राजनारायण जी के दिमाग का फितूर है और इससे हमारा कोई मतलब नही है। इन सब बातो को यहा बीच मे लाना ठीक नही है। मै आपसे यह कहना चाहता हू कि जो वहा काग्रेस की सरकार बनी वह कुछ महीने तो चली, पर राजनारायण जी की पार्टी जिस सरकार मे शामिल थी वह नौ दिन भी नही चल पाई।

श्री राजनारायण : दस महीने चली।

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह बात कहना कि वहा पर हम लोगो ने जानबूझ कर अपनी शक्ति बढाने के लिये कोई काम किया, यह सरासर गलत बात है। ऐसी बात किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को नही कहनी चाहिये। मै आप को यह आश्वासन भी देना चाहता हू कि जब वहा पर इस बात की सभावना हो जायगी कि वहा पर स्थायी चल सकने वाली सरकार बन सकती है तो जो वहा पर विधान सभा को निलबित किया गया है, उसको हटा दिया जायगा। *(Interruption)* हम यह नही चाहते है कि वहा पर काग्रेस की ही सरकार बने। जैसे ही वहा पर कोई स्थायी सरकार बनाने के योग्य होगे और इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करेगे, हम लोग एक दिन की भी देर किये बिना इस बात का प्रयत्न करेंगे कि वहा पर स्थायी सरकार बन सके।

श्री चन्द्रशेखरन् ने जो एक सुझाव दिया उसको मै समझता हू कि वह बहुत अच्छा सुझाव है कि राष्ट्रपति शासन के अतर्गत जो कानून बने वे कानून ऐसे बने जो बहुत आवश्यक हो और जिन के बारे मे कोई राजनैतिक विवाद न हो। हम लोगो की यही कोशिश रहती है कि हम लोग जो कानून बनाये वे ऐसे ही हो। अगर कोई आर्डिनेस जारी हुआ हो और उसको हम को पारित करना हो या

उसको कानून का रूप लेना हो या कोई ऐसा कानून हो जिस का कोई विशेष राजनैतिक महत्व न हो या केवल दिन प्रति दिन की कारवाइयों के अंतर्गत जो इस तरह के कानून होते हैं जिन में कोई कांट्रोवर्सी नहीं होती है, ऐसे ही कानूनों को हम अधिकतर राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत पास करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि पिछले वक्त जब बहुत से राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आये तो एक दो ऐसे कानून सलाहकार समितियों के सामने आये जिन के बारें में वादविवाद हुआ या कोई कांट्रोवर्सी हुई और इस लिये उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने यह तय किया कि उनको छोड़ दिया जाय और जब वहां पर लोकप्रिय सरकार बने तो वह उनके बारे में तय कर के कोई कानून बनाना चाहे, तो बनाये। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत हम ऐसे कानून नहीं बनाना चाहते हैं जिन के बारे मे किसी प्रकार की कांट्रोवर्सी हो। इस लिये मैं समझता हूं कि माननीय चन्द्रशेखरन् जी का जो सुझाव है वह हम लोगों को मान्य है।

इतना कह कर मै सदन से प्रार्थना करूंगा कि परम्परा के अनुसार जो यह विधेयक आया है इसको वह पास करे जिस से हम इसके द्वारा एक सलाहकार समिति बना कर जब तक हमारे ऊपर इस बात की मजबूरी है कि हम बिहार का राज्य शासन चलायें तब तक हम उसकी सलाह से वहां का काम चला सकें। मेरी यह भी प्रार्थना है कि सदन राष्ट्रपति जी को इस बात का भी अधिकार दे कि वे कानून भी उस राज्य के लिये पास कर सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Bihar to make laws, be taken into consideration."

The motion was adopted.

6—36 R.S./69

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Sir, I move :

"That the Bill be passed".

The question was proposed.

श्री रेवती कान्त सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, इस बिल के तीसरे वाचन पर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ बिहार की तीन ज्वलन्त समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं।

हमारा पहला सुझाव, जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया, सरकार के गठन के बारे में है—दो तरह के एक्सपेरिमेंट हम लोग वहां देख चुके हैं, गैरकांग्रेसी दलों के संयुक्त मोर्चे की सरकार नहीं चल सकी और कांग्रेस के संयुक्त मोर्चे की सरकार नहीं चल सकी—कि वहां जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है असेम्बली में उसको गवर्नर बुलाएं सरकार बनाने के लिए बिना इस बात का ख्याल किए हुए कि उनकी तरफ कितने आदमी हैं। गवर्नर ने जो यह शर्त लगा रखी है कि लिस्ट लाओ कितने आदमी है हम वेरीफाई करेंगे, कांग्रेस के के लोगों ने 165 की लिस्ट दी, एस० एस० पी० ने भी दी है, मैं चाहता हूं कि लिस्ट देखने का अधिकार. . .

श्री राजनारायण : प्रेसिडेन्ट के चुनाव में कितने वोट कांग्रेस को मिले ?

श्री रेवती कान्त सिंह : कांग्रस को 111 मिले हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (बिहार) : 165 मिले हैं।

श्री राजनारायण : 110 मिले हैं।

श्री रेवती कान्त सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर को यह देखने का अधिकार न हो कि कितने आदमी उनके साथ हैं बल्कि जो सिंगिल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस है उसको बुलाए और कहे कि तुम सरकार बनाओ। वह सरकार बनाना चाहे तो उनको सरकार बनाने दी जाय, बहुमत और अल्पमत की बात तो असेम्बली मे हो जायगी, गवर्नर को टांग अडाने की जरूरत नही है। अगर कांग्रेस के लोग उसके लिए तैयार न हो तो दूसरी पार्टी असेम्बली मे एस० एस० पी० है, उसको अधिकार दिया जाय कि वह अपनी सरकार बनाए, असेम्बली मे जो होना होगा, होगा लेकिन गवर्नर जो बाधा बन जाते है वह बात गलत है और मै चाहूगा कि सरकार इस बारे मे गवर्नर को निर्देश करे कि वे बाधा न बने चाहे कांग्रेस की सरकार बने या एस० एस० पी० की सरकार बने।

दूसरा सुझाव मै यह देना चाहता हू कि अभी बिहार मे जोरो की बाढ आई हुई है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक रेलवे लाइन के उत्तर का समूचा इलाका पानी से भरा हुआ है। फिर उत्तर बिहार मे गंगा पार करने के बाद पूर्णिया जिले से चम्पारन तक, बीच मे सहरसा और दरभंगा को भी लेते हुए सारा का सारा यानी तीन-चौथाई बिहार इस समय बाढ की चपेट मे पडा हुआ है। जिस मुस्तैदी के साथ वहा रिलीफ का काम होना चाहिए था वह अभी तक भी नही हो रहा है। मै अभी 24 तारीख को लौटकर आया हू बिहार से और सारी स्थिति देख कर आया हू। मै खास तौर से अपने जिले शाहाबाद मे गया था अपने घर की तरफ। आरा-बक्सर रोड के उत्तर मे सारा का सारा पानी है। आरा-बक्सर रोड से मुझे अपने घर तक जाने के लिए नाव से जाना पडा जबकि रोड बनी हुई है लेकिन कही रिलीफ का कोई काम नही हो रहा था। इसी तरह की बाढ बिहार मे 1967 मे भी आई थी लेकिन पापुलर गवर्नमेंट वहा थी —चाहे वह किसी की भी रही हो, मुझे अभी राजनीति से मतलब नही— इसलिए रिलीफ का काम वहां जिस मुस्तैदी के साथ हुआ था आज उस मुस्तैदी के साथ नही हो रहा है। मै सरकार को कहना चाहता हू कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द वार फूटिंग पर रिलीफ का काम होना चाहिए।

तीसरी समस्या जिसकी ओर मै ध्यान खीचना चाहता हू—पिछले साल जुलाई के महीने मे जब हम इस तरह का बिल डिस्कस कर रहे थे उस समय भी आपको याद होगा इसकी चर्चा की गई थी—वह है बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियो की हडताल से सम्बन्धित। बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियो की हडताल 1968 मे चली थी। 25 जुलाई 1968 को लोकसभा मे गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि वे हडताल वापस ले ले, उन्हे किसी तरह से विक्टिमाइज नही किया जायेगा और उनकी हडताल 25 की शाम से वापस हुई लेकिन आज 13 महीने पूरे हो रहे है, 26 अगस्त हो गई है, 13 महीने से भी एक दिन ऊपर हो गया है, लेकिन उनके ऊपर उस समय जो मुकदमे चले थे उनमे से सैकडो लोगो के ऊपर वे मुकदमे ज्यो के त्यो है। उन लोगो से उस समय छुट्टी लेने आदि के क्या क्या सर्कुलर निकले थे, लेकिन उनका 15 दिन का वेतन अभी तक बाकी है। 5 रोज़ के लिए फरवरी, 1968 मे जो हडताल हुई थी उस समय जो वेतन कटा था उसके बारे मे जब भोला शास्त्री की सरकार बनी थी तो केबिनेट मे यह तय हो चुका था कि वह वेतन दे दिया जायगा, लेकिन वह वेतन नही दिया गया। नतीजा यह है कि बिहार स्टेट नान-गजटेड एम्प्लाईज फेडरेशन की ओर से पटना सेक्रेटेरियट के पश्चिमी फाटक पर 18 अगस्त से रिले हंगर स्ट्राइक चल रही है 7-7, 8-8 के बैचेज मे और मुझको यह सूचना मिली है कि कल 27 अगस्त से श्री जोगेन्द्र नारायण सिंह और सुखदेव नारायण चौधरी नान-गजेटेड एम्प्लाईज फेडरेशन के दो जिम्मेदार मेम्बर आमरण अनशन करने जा रहे है इन मांगो को लेकर। मै सरकार से कहना

चाहता हूं कि गृह मंत्री को, प्रधान मंत्री को, भारत की सरकार को इसमें इन्टरवीन करना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों को बुला कर राउन्ड टेबिल बात करके जो पिछले साल एश्योरेंस दिए गए थे उन्हें पूरा करना चाहिए जिससे एम्लाईज और सरकार के रिलेशन्स, स्ट्रेन्ड होते जा रहे हैं न वे हों। ये तीन सुझाव मैं देना चाहता था और मैं सरकार से इसका जवाब चाहूंगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष जी, जहां तक बाढ़ और अराजपत्रित कर्मचारियों का सवाल है, मुझे इसके बारे में कुछ सूचना इस वक्त तो नहीं है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर जरूर ध्यान दूंगा और जो कुछ सम्भव हो सकेगा हम जरूर करेंगे।

जहां तक सरकार बनाने का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि जब तक राज्यपाल महोदय को पक्का विश्वास न हो जाय कि वहां पर सरकार स्थायी रूप से किसी भी दल के द्वारा चल सकती है तब तक वे इस तरह का सुझाव राष्ट्रपति जी को नहीं देंगे। यह हम लोगों का अधिकार नहीं है कि राज्यपाल को कहें कि उन्हें निर्णय किस तरह करना चाहिए और किस तरह इस बात का परीक्षण करना चाहिए। वे अपनी स्वेच्छा से वहां की परिस्थिति समझबूझ कर जो उचित समझेंगे उस तरह का सुझाव देंगे और जब उनका सुझाव मिलेगा तब उसके ऊपर हम विचार करेंगे और निर्णय लेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE CRIMINAL AND ELECTION LAWS AMENDMENT BILL, 1969 —*contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : We come back to the Criminal and Election Laws Amendment Bill, 1969. The First Reading was over. We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2—Substitution of new section for section 153A

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : There are eight amendments. Mr. Niranjan Varma and Mr. Vaishampayen are not here. Mr. Ganeshi Lal Chaudhary, are you moving your amendment?

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I move :

20. "That at page 2, line 4, for the words 'or ill-will' the words 'ill-will or untouchability' be substituted".

मेरा जो एमेंडमेंट है वह बिलकुल सीधा-सादा है। मैं चाहता हूं कि जहां पर आपने...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Ill-will or untouchability.

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY: "Feelings of enmity, hatred or ill-will". दिया है उनके साथ 'अनटचेबिलिटी' भी जोड़ दें क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी श्री शंकराचार्य ने पटना में थोड़े दिन हुए एक सभा की और उस धार्मिक सभा में उन्होंने खुल्लमखुल्ला हरिजनों के खिलाफ प्रचार किया और अनटचेबिलीटी का प्रचार किया और आपका देश का जो कानून है उसके मातहत उनको सजा नहीं दिलाई जा सकी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब तक आप "अनटचेबिलिटी' को भी इसमें नही ला देते तब तक जो लोग हरिजनों, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ छुआछूत मानते हैं, उनके खिलाफ प्रचार करते हैं उनको इस कानून के मातहत सजा नही दी जा सकती। यह कहने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे एमेंडमेंट को मान लें।

The question was proposed.